संख्या-2-ई.एम./2001-का-4-2007

प्रेषक,

प्रशान्त कुमार मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 08 नवम्बर, 2007

विषयः- कर्मचारी संगठनों की मांगों के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2004 एवं दिनांक 22 जून, 2006 के द्वारा यह निर्देश निर्गत किये गये थे कि प्रत्येक माह विभागीय प्रमुख सचिवों / सचिवों के स्तर पर, मान्यता प्राप्त सेवा संगठनों की मांगों पर बैठकें आहूत कर, समस्याओं का निराकरण कराया जाय । इसी प्रकार महासंघों / परिसंघों की मांगों पर कार्मिक विभाग द्वारा बैठकें आहूत कराकर, समस्याओं का निराकरण कराया जाय ।

2. मेरे संज्ञान में लाया गया है कि उपर्युक्त शासनादेशों के द्वारा निर्गत सुस्पष्ट दिशा-निर्देशों के बावजूद, विभागीय प्रमुख सचिवों / सचिवों द्वारा अपने नियंत्रणाधीन संगठनों की मांगों पर विचार-विमर्श/ बैठकें आहूत नहीं की जा रही हैं, जिससे उक्त संगठनों द्वारा मेरे स्तर पर बैठकें आहूत किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है । उक्त स्थिति उचित नहीं है, अतः आपको निम्नवत् निर्देशित करने का मुझे पुनः निदेश हुआ हैः-

(1) विभिन्न मान्यता प्राप्त सेवा संघों की मांगों पर प्रत्येक माह विभागीय प्रमुख सचिवों / सचिवों के स्तर पर बैठकें आहूत कर, समस्याओं का निराकरण कराया जाय ।

(2) मान्यता प्राप्त महासंघों / परिसंघों की मांगों पर कार्मिक विभाग द्वारा बैठकें आहूत कर, समस्याओं का निराकरण कराया जाय ।

3. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(प्रशान्त कुमार मिश्र)
मुख्य सचिव